राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :डीसी/2018/613 दिनांक : 22/3/2018

आदेश

M/s Jackson Laboratories Pvt. Ltd., Bye Pass, Majitha Road, Amritsar (Punjab) के द्वारा निर्मित औषधि Microtrim Injection (Vet.) के नमूने राज्य में स्थित जिलों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत जांच हेतु लिये गये थे। उक्त औषधि के 21 नमूने जो कि राजकीय विश्लेषक, राजस्थान औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की विभिन्न टेस्ट रिपोर्टो के अनुसार "अवमानक कोटि" **(Not of Standard Quality)** के पाये गये थे।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये उक्त निर्माता फर्म M/s Jackson Laboratories Pvt. Ltd., Bye Pass, Majitha Road, Amritsar (Punjab) द्वारा निर्मित समस्त औषधियों को आदेश क्रमांक डीसी/2015/1714 दिनांक 08.09.2015 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रतिबन्धित (BAN) किया गया था। उक्त आदेश में प्रतिबन्ध की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कियान्विति में निर्माता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर सामर ने दिनांक 26.02.2018 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यतिशः उपस्थित होकर फर्म का पक्ष प्रस्तुत किया तथा उनके द्वारा लिखित अभिकथन भी प्रस्तुत किया गया। इस सम्पूर्ण प्रकरण में औषधि नियंत्रक के साथ विचार विमर्श कर मनन किया गया, इसके साथ ही राज्य में औषधियों इत्यादि के क्रयणादि हेतु राज्य की सबसे बडी केन्द्रीय उपायन संस्था आर.एम.एस.सी.एल में कायम नीति अनुसार गुणवत्ता के मामलों में ली गई राय अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को अधिकतम 2 से 3 वर्ष के लिये ही प्रतिबन्धित किया जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 में M/s Jackson Laboratories Pvt. Ltd., Bye Pass, Majitha Road, Amritsar (Punjab) द्वारा निर्मित समस्त औषधियों को राज्य में दिनांक 08.09.2015 से 30 माह तक की अवधि के लियें प्रतिबन्धित "BAN" किया जाना परिभाषित किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त पूर्व आदेश क्रमांक डीसी/2015/1714 दिनांक 08.09.2015 के अतिक्रमण में जारी किये जाते है।

22.3.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर

क्रमांक :डीसी/2018/613 दिनांक : 22/3/2018

Copy forwarded to the following for information & necessary action :-

1. P.S to Hon'ble Health Minister, Govt. of Rajasthan. Jaipur.
2. P.S to Additional Chief Secoretary, Medical & Health Department, Rajasthan,Jaipur.
3. P.S. to Princiopal Secretary, Medical Education Department, Rajasthan, Jaipur.
4. P.S. to MD, NHM, Jaipur.
5. P.S. to MD, RMSCL, Jaipur.
6. P.A. to DM&HS (PH)/(Aids)/(F.W.)/(I.E.C)/(E.SI.)/(Mobile Surgical), Jaipur.
7. Director, Animal Husbandry, Pashupalan Bhawan, Tonk Road, Jaipur.
8. Drugs Controller-I/II, Rajasthan, Jaipur.
9. Principal, Medical College, Jaipur/Ajmer/ Bikaner/Kota/Jodhpur/Udaipur/Jhalawar.
10. Superintandent Associated Group of Hospitals, SMS Hospital, Jaipur, Zanana Hospital, Mahila Chikitsalay, J.K. Loan Hospital, Jaipur/PBM Hospital, Bikaner/ MBS Hospital, Kota/Udaipur, JLN Hospital, Ajmer.
11. P.A to F.A. of this Directorate.
12. Joint Director, Medical and Health Services, Zone Jaipur, Kota, Ajmer, Udaipur, Bikaner, Jodhpur, Bharatpur.
13. All CM&HO'S/All PMO's, Rajasthan.
14. All Asst. Drugs Controllers, Rajasthan State.
15. All Drugs Control Officers, Rajasthan State.
16. Officer I/c, Server room to please provide e-mail to all above concern immediately.

22.3.18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर